न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0 न0 101/2022 (जी.सी.एम.एस. 2022/57) पीठासीन अधिकारीः— डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

लहर सिंह पुत्र स्व0 श्री सरूप जाति जाट नि0 गिरसै पोस्ट खोहरी तह0 डीग जिला डीग

—सायल

बनाम

करतार सिंह,फूल सिंह पुत्रगण स्व. श्री सरूप जाति जाट नि0 गिरसै पोस्ट खोहरी तह0 व जिला डीग

—गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत

धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 20.08.2024

सायल द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1479/0.19, 198/0.19, 200/0.24,201/0.23, 216/0.45, 217/0.42, 219/0.09, 225/0.12, 226/0.09, 227/0.12, 232/0.05, 283/0.09, 251/0.08, 282/0.09, 289/0.29, 290/0.15, 291/0.15, 222/0.19, 293/0.15, 294/0.19, 295/0.16, 296/0.42, 90/0.12, 91/0.13, 92/0.23 कुल किता—25 कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा नम्बरान 1110/0.19, 1111/0.21, 1115/0.43, 1116/0.29, 1117/0.34, 1477/0.22 कुल किता—6 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर तथा आराजी खसरा नम्बरान 199/0.01 गैर मुमकिन बोरिंग (नलकूप) 285/0.16, 1109/0.28, 118/0.21, 1119/0.23, 1121/0.63, 1122/0.36 वाके ग्राम गिरसै तहसील डीग में स्थित है। सायल एवं गैर सायलान एक ही परिवार के सदस्य है। आराजी मुत0 वाके ग्राम गिरसै में स्थित सायल एवं गैर सायलान संख्या 01 लगायत 05 एवं 8 व 9 की पुश्तैनी आराजी है जोकि बाबा चुन्नीलाल द्वारा छोडी गई तथा सायल एवं गैर सायलान को विरासतन प्राप्त हुई है। सहकाश्तकारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है उतना ही शामिल काश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। सहकाश्तकार अपनी अपनी आराजीयात को हस्तांतरित करते आ रहे है। जिससे विवाद खडे हो रहे है व झगडा फिसाद की संभावना बनी रहती है। आराजी खसरा नम्बर 199/0.01, में पिता सरूप द्वारा लगाया गया गै0 मु0 बोरिंग है। जिसे जबरन फूल सिंह व करतारसिंह काबिज होकर अपने निजी उपयोग में लेते है। वादी को उसके हिस्से की आराजी की सिचाई नहीं करने देते है व इसी प्रकार धमकी देते है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जाकर वर्णित आराजीयात को रहन वय मुन्तकिल नहीं करने एवं आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

199/0.01 में स्थित नलकूप को बिना बंटवारा कराये अथवा सायल की सहमति के बिना सिचाई अथवा उसे रहन व मुन्तकिल नहीं किये जाने हेतु गैर सायलान को पावंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायलान संख्या 01,02,08,09 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबाव में वर्णित है कि सायल एवं गैर सायलान आपस में खास भाई है जिनके पिता श्री सरूप का देहान्त दिनांक 14.06.2019को हो चुका है। सायल एवं गैर सायलान के पिता सरूप एवं प्रति0 संख्या 03 लगायत 05 के पिता सनेही आपस में खास भाई थे जिनके मध्य सम्मलित खातेदारी की आराजी का काफी बर्षों पूर्व विभाजन हो गया और उस विभाजन से सायल एवं गैर सायलान के पिता सरूप के हिस्से में आराजी खसरा नम्बरान 198/0.19, 199/0.01, 200/0.24, 217/0.42, 219/0.09, 232/0.05, 233/0.09, 289/0.29, 290/0.15, 295/0.16, 296/0.42, 285/0.16, 1109/0.28, 1116/0.29, 1117/0.34, 1121/0.63, 1477/0.22, 1479/0.19 किता–18 आये जिन पर वाहिद रूप से सायल एवं गैर सायलान का पिता सरूप काबिज रहा तथा अन्य आराजी प्रति0 संख्या 03 लगायत 05 के पिता सनेही के हिस्से में रही। जिससे बाद बर्ष 2003 मे सायल का विवाह होने पर सायल ने अपने पिता सरूप ने अपने हिस्से में आई उक्त आराजी का चार हिस्सों में सायल तथा गैर सायलान व स्वयं के मध्य विभाजन कर दिया जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बरान 200/0.24, 289/0.29, 1477/0.22, 1121/1/0.14, 1479/1/0.12, स्थित ग्राम गिरसै कुल 101 ऐयर आराजी सालय को बतौर विभाजन उसके हिस्से में दी गई तथा उक्त आराजी को लेकर सायल अपने पिता व भाईयों से अलग हो गया तथा शेष आराजी गैर सायलान व पिता सरूप के हिस्से में रही और सायल एवं गैर सायलान पृथक पृथक काश्त करते रहे। बर्ष 2015 में आराजी खसरा नम्बर 198/0.19 जोकि विभाजन में गैर सायल करतार के हिस्से में दिया गया था उस पर गैर सायल करतार ने अपनी लागत से एक कुआ निर्मित किया तथा उक्त कुआ पर अपने खर्चे से से एक विधुत कनैक्सन आराजी सिचाई हेतु प्राप्त किया। बर्ष 2019 में पिता सरूप का देहान्त होने के बाद सायल ने पुनः गैर सायलान के साथ झगडा फिसाद करना शुरू कर दिया जिस पर सायल एवं गैर सायलान ने अपने पिता सरूप के हिस्से की आराजी को तीन हिस्सों में मौजिज व्यक्ति मान सिंह सरपंच नि0 खोहरी, हुकम सिंह चौटाला नि0 शाहपुर व पप्पन फौजी नि0 बेढम की उपस्थिति में विभाजन किया। जिसके अनुसार सायल की सहमति से उसे आराजी खसरा नम्बरान 217/1/0.21, 233/0.09, 289/0.29, 1109/0.28, 1477/0.22, 1121/1/0.21, 1479/1/0.06 कुल किता–7 रकबा 136 ऐयर विभाजन में दिया गया तथा गैर सायल संख्या 02 फूल सिंह के हिस्से में खसरा नम्बरान 200/0.24, 219/0.09, 296/0.42, 1117/0.34, 1121/2/0.21, 1479/2/0.06 कुल किता–6 रकबा 136 ऐयर तथा गैर सायल संख्या 01 करतार के हिस्से में खसरा नम्बरान 217/2/0.21, 198/0.19, 290/0.15, 295/0.16, 1116/0.29, 232/0.05, 1121/3/0.21, 1479/3/0.06 कुल किता–8

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 132 ऐयर दिया गया। जिस पर मुताविक विभाजन सायल एवं गैर सायलान लगातार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अब सायल के मन में बेईमानी व बदयान्ति आई हुई है और वह पूर्व में हुए मौखिक विभाजन को नहीं मानकर गलत तरीके से विवादित आराजी पर विवाद पैदा करने के उद्वेश्य से पुनः विभाजन कराना चाहता है। आराजी खसरा नम्बरान 1109/0.28, 1118/0.21, 1119/0.23, 1121/0.63, 1122/0.36 स्थित गिरसै तहसील डीग में सायल एवं गैर सायलान के पिता सरूप का हिस्सा 1/2 तथा उसके भाई सनेही का हिस्सा 1/2 था जिसमें से सनेही ने अपने हिस्सा 1/2 की आराजी को शीला पत्नी थान सिंह व पूजा पत्नी राजू जाति जाट नि0 गिरसै को बेचान कर दिया। प्रतिवादिनी संख्या 8,9 ने उक्त आराजी में से हिस्सा 1/3 को उक्त शीला पत्नी थान सिंह व पूजा पत्नी राजू से जरिये बयनामा खरीद कर लिया जिसके बाद से मुताविक जमाबन्दी अपने हिस्से की आराजी पर प्रति0 संख्या 08 व 09 काबिज होकर काश्त कर रही है। सायल गैर सायलान का खास छोटा भाई है जो शुरू से ही गलत आदतों का शिकार है और आये दिन शराब पीता है जिससे गैर सायलान व सायल व उसके बच्चों का पूरा ध्यान रखते है और गैर सायल संख्या 01 करतार अपने खसरा नम्बर 198/0.19 में लगे हुए विधुत कनैक्सन व कुआ से सायल के खेतों की सिंचाई करता है और उस सिचाई के मद्दे गैर सायल संख्या 1 सायल से कोई राशि नहीं लेता है। गैर सायल करतार ने सायल को कभी भी सिचाई का पानी देने से इन्का नहीं किया गया। जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल विरूद्व गैर सायलान खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान/प्रति0 को ता फैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे।

वकील प्रति0/गैर सायलान द्वारा अपनी बहस के दौरान जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते कहा कि सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

<u>प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः–</u> विवादित आराजी खसरा नम्बर 199/0.01, में सायल के पिता सरूप द्वारा लगाया गया गै0मु0 बोरिंग है। जिस पर जबरन फूल सिंह व करतारसिंह काबिज होकर अपने निजी उपयोग में ले रहे है तथा वादी लहर सिंह को उसके हिस्से की आराजी की सिचाई नहीं करने देते है व धमकी देते है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सायल के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

<u>सुविधा का संतुलनः–</u> सायल एवं गैर सायलान एक ही परिवार के सदस्य है। आराजी मुत0 वाके ग्राम गिरसै में स्थित सायल एवं गैर सायलान संख्या 01 लगायत 05 एवं 8 व 9 की पुश्तैनी आराजी है

उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

जोकि बाबा चुन्नीलाल द्वारा छोडी गई तथा सायल एवं गैर सायलान को विरासतन प्राप्त हुई है। सहकाश्तकारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है उतना ही शामिल काश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। सहकाश्तकार अपनी अपनी आराजीयात को हस्तांतरित करते आ रहे है। जिससे विवाद खडे हो रहे है व झगडा फिसाद की संभावना बनी रहती है। आराजी को रहन वय मुन्तकिल किये जाने की धमकी दी जा रही है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन गैर सायल के पक्ष में न होकर सायल के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

<u>अपूर्तिनीय क्षतिः—</u> विवादित आराजी में वर्णित सायल एवं गैर सायलान एक ही परिवार के सदस्य है। आराजी मुत0 वाके ग्राम गिरसै में स्थित सायल एवं गैर सायलान संख्या 01 लगायत 05 एवं 8 व 9 की पुश्तैनी आराजी है, जोकि बाबा चुन्नीलाल द्वारा छोडी गई तथा सायल एवं गैर सायलान को विरासतन प्राप्त हुई है। वर्णित आराजी में से गैर सायलान/प्रति0 के द्वारा रहन वय मुन्तकिल किया जाता है तो सायल को अपूर्तिनीय क्षति होना संभव है। ऐसी स्थिति में प्राइमा फेसी केस व बैलेंस ऑफ कन्वीनियन्स एवं अपूर्तिनीय क्षति सायल के पक्ष में प्रतीत होती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन व उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। समस्त विवेचना अनुसार हम सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट, को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः—

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, आर.टी.एक्ट के अन्तिम निस्तारण होने तक विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1479/0.19, 198/0.19, 200/0.24,201/0.23, 216/0.45, 217/0.42, 219/0.09, 225/0.12, 226/0.09, 227/0.12, 232/0.05, 283/0.09, 251/0.08, 282/0.09, 289/0.29, 290/0.15, 291/0.15, 222/0.19, 293/0.15, 294/0.19, 295/0.16, 296/0.42, 90/0.12, 91/0.13, 92/0.23 कुल किता—25 कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा नम्बरान 1110/0.19, 1111/0.21, 1115/0.43, 1116/0.29, 1117/0.34, 1477/0.22 कुल किता—6 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर तथा आराजी खसरा नम्बरान 199/0.01 गैर मुमकिन बोरिंग (नलकूप) 285/0.16, 1109/0.28, 118/0.21, 1119/0.23, 1121/0.63, 1122/0.36 वाके ग्राम गिरसै तहसील डीग में स्थित आराजीयात में मजाहमत मदाखलत नहीं करने तथा रहन वय मुन्तकिल नहीं किये जाने हेतु गैर सायलान को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner